

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग-5
संख्या-944/1-5-2012-123/2012-रा०-५
लखनऊ :: दिनांक 30 जुलाई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू०पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1901 (यू०पी० अधिनियम संख्या-3, सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-1213/1-5-08-77/2008-रा०-५, दिनांक 17 अप्रैल, 2008 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल उक्त अधिसूचना में सृजित विद्यमान जिला कांशीरामनगर का नाम उपरिवर्तित कर जिला कासगंज करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या-944(1)/1-5-2012-123/2012-रा०-५, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- जिलाधिकारी, कासगंज।
- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 30 जुलाई, 2012 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, कासगंज, 20 प्रतियां आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-9 को उप्रलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3~- शासन के समर्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 4~- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 5~- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6~- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7~- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 8~- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ०प्र०, जवाहर भदन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
- 9~- गार्ड फाइल।

भवदीय,

पत्रांक 264/आ०८०१२, दृ०१ अस०ता०१२ (राम चन्द्र)

अतिरिक्तः - सुभूत जिला स्तरीय - विशेष सचिव।

आधिकारी रूपे जिला स्तरीय अधिकारी वर्ग समूह का उपरोक्त अनुसार कार्यवाही है।

...अपर्याप्त जिला आधिकारी कासगंज

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.944/1-5-2012-123/2012-Rev.-5, dated July 30, 2012, for general information :-

Notification

No.944/1-5-2012-123/2012-Rev.-5
Lucknow, Dated July 30, 2012

In exercise of the powers under section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904) and in partial modification of Government notification no. 1213/1-5-08-77/2008-Rev.-5, dated April 17, 2008 the Governor is pleased to change the name of the existing district of Kanshiram Nagar created in the said notification as the district of kasganj.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law.

By Order,

(Kishan Singh Aториа)
Pramukh Sachiv.
